न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 177/2020

विनोद सिंह .....वादी।

बनाम्

राजेश्वर सिंह वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

24-10-2024

वाद की हाजिरी है। वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 दाखिल किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के विद्वान अधिवक्ता आवेदन को प्रचालित करते हुये यह कथन करते हैं कि इस वाद के अर्जी में टाईपिस्ट की गलती व भूल से वादी के वंशावली में कुछ नाम दर्ज होना छूट गया है जिसमें सुधार करना आवश्यक है तथा उक्त सुधार करने से मुकदमा के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा तथा यह सुधार औपचारिक प्रकृति का है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते है कि अर्जी में सुधार का आदेश आवेदन के आलोक में दिया जाए।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया इस वाद में कोई प्रतिवादी अभी तक उपस्थित नहीं है तथा दिनांक 05.08.2022 को इस वाद की कार्यवायी प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय अग्रसारित है। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित हैं। उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा प्रस्तुत मुकदमें की प्रकृति में संशोधन से बदलाव नहीं होता है। उक्त आवेदन स्वीकृत करने योग्य है। अतः न्यायहित में उपरोक्त के आलोक में वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को बिना खर्च स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवेदन के आलोक में संशोधन करें। तत्पश्चात सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन प्राप्त करें।

दिनांक 19.11.2024 वास्ते बहस।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)